RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-01
January -2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

गुप्तोत्तर काल में अश्यपृश्यता का समाज पर प्रभाव

डा0 श्रीकान्त सुमन

पी0 एच0 डी0 (इतिहास) बी0 एन0 एम0 यु0 मधेपुरा (बिहार)

साहित्य स्त्रोत साधारण, निर्धन और अशरण लोगों की जिन्दगी के अध्ययन के लिए विशाल भण्डार है। मानव जाति के ज्ञात प्राचीन ग्रंथ ऋगवेद में भी आर्य और अनार्य की भेदपूलक भावना देखने को मिलती है। उँच, नीच, धनी, गरीब, सभ्य, असभ्य की भावना भी मिलती है। इसके परवर्ती ग्रंथों में भेदात्मक प्रवृत्ति पूर्णरूप से प्रस्फुटित दिखाई पड़ती है। संस्कृत साहित्य, ईश्वरवाद, ब्राह्मणवाद और वर्णाश्रमवाद के प्रभाव से अपमिश्रित है। भारत के जन सामान्य को जीवन के हर मोड़ पर ब्राह्मणों एवं पुरोहितों से कमतर आँका गया है।

सम्पत्ति पैदा करने वाले लोग जैसे कर्मकार, मजदूर एवं कृषक उत्पादन के साधन स्त्रोत से रहित थे और वे सर्वाधिकश्शोषित एवं दलित थे। वराह मिहिर के शास्त्र में दास, कर्मकार, और कृषक को निम्न श्रेणी में रखा गया है, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दशा सोचनीय रही है।

गुप्तोत्तर कालीन समाज पारम्परिक रूप से चार वर्णों में विभाजित थे। इन चार वर्णों में शूद्रों की सामाजिक स्थिति दयनीय थी, इनका काम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना था। सैनिक कार्यो में लगाया जाना बराह मिहिर के अनुसार यह शूद्र धर्म था। हलाँकि सैनिक कार्य क्षत्रिय करते थे किन्तु शारीरिक रूप से सक्षम शूद्र को भी सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। चार वर्णों के अतिरिक्त 15 मिश्रित वर्णसंकर जातियाँ थी। इनकी स्थिति शूद्रों के समान थी। पर चांडालो की स्थिति इनसे भी हीन रखी गई थी। समाज में अत्यन्त हीन होने के कारण इसका निवास नगर से दूर शमशान के नजदीक होता था।

जन्मना एवं कर्मणा से ये जातियाँ अधम मानी जाती थी और उच्च जाति के लोग इनका अनादर करते थे। गाली के रूप में चाँडाल और वेण का प्रयोग किया जाने लगा। हीन जातियों की श्रेणी में अम्बष्ठ, निषाद वैण्य आदि भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों से बहिष्कृत थी। चांडाल अश्यपृश्य तो थे ही अदर्शनीय भी थे। उन्हें नगर प्रवेश की इजाजत नहीं थी। चांडाल के शरीर को स्पर्श करती हुई जो हवा ब्राह्मण को लगती थी तो ब्राह्मण दुषित हो जाते थे। समाज में छूआछूत की भावना दिनानूदिन फैलती गयी और समाज विश्व बन्धूत्व की भावना को भूलाकर संकीर्णता की जंजीर में बंध गया।

गुप्तोत्तरकालीन इतिहास के कुछ विचारकों का मानना है कि शूद्रों की सामाजिक स्थिति हीन नहीं मानी जाती थी। उन्हें भी आर्य समझा जाता था। केवल म्लेच्छों, चांडालों, खपचा आदि को अनार्य समझा जाता था। कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शिल्प को भी शूद्र वर्ण का माना है। तन्तुवाय, रजक, लोहाकार, कमार आदि शिल्पियों ने इस काल में पृथक जातियों का रूप प्राप्त कर लिया था। बराह मिहिर ने शूद्रों को आर्य संतान ही माना कुछ विशिष्ठ सामाजिक अधिकार भी दिया यह कदम उनका अप्रत्याशित अवश्य था, लेकिन जातिवादी भावना से ग्रसित उनका हृदय पूर्ण रूप से निश्चल नहीं हो पाया था। बराह मिहिर ने जो शूद्रों को आर्यों के अन्तर्गत माना है वह वैदिक ग्रंथों का सामान्य धारणा से मेल नहीं खाता हं । बराह मिहिर एवं अन्य अर्थशास्त्रकार उच्चत्तर जातियों के प्रति अपने पक्षपात की भावना से मुक्त नहीं थे और बहुघा शूद्रों के अहित में ही न्यायिक व सामाजिक असमानताए की जाती थी।

नन्दों के अधिकार काल से नवीन राज्यक्रम तथा सामाजिक पृथक्करण का संकेत मिलता है। ब्राह्मण सूत्रों एवं गुप्तोत्तर काल में शूद्रों एवं दासों के विरूद्द कठोर वचन कहे गये थे। वैदिक व सामाजिक अधिकारों के कुछ संदर्भों में वैश्य व शूद्रों के प्रति व्यवहार में अन्तर किया जाता था। धर्मशास्त्र ग्रन्थ ऐसी किसी भी वस्तु को बर्दास्त नहीं करते थे जो आर्यों की गति और मति के अनुकूल न हो। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों की जो सुरक्षा और सुविधा दी गई है, उसके विपरीत शूद्रों और विशेष कर अंत्यजो का गंभीर अपात्रताओं से बांध दिया गया है। निम्न वर्ग के लोग यदि अपने से उच्च वर्ण के लोगों से अपराध करते थे तो वर्ण की

RRIJM 2015, All Rights Reserved

उच्चता के क्रम से उन्हें उत्तरोत्तर अधिक दण्ड मिलता था और इसी तरह यदि उच्च वर्ण के लोग अपने से निम्न वर्ण के लोगो का अपराध करते तो उन्हें निम्नता के क्रम से उत्तरोत्तर कम दण्ड मिलता था।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज जातियों प्रकृतियों में यदि पूर्व के एक दूसरे की निन्दा करे तो अन्त्यज को तीन पण, छः पण, नौ पण और बारह पण दण्ड दिया जाय। इसी प्रकार ब्राह्मण निन्दा करे तो दो पण, चार पण, छः पण और आठ पण उसको दण्ड दिया जाय। इसी प्रकार ब्राह्मण आदि निन्दित वाक्य करने वाले भी यही दण्ड दिया जाय। न्यायालय के समय साक्षी देने के लिए ब्राह्मण एवं शूद्र में शपथ लेने की अलग–अलग व्यवस्था थी

कानून भी वर्ण भेद मूलक था। धार्मिक एवं कानूनी अधिकारों वंचित निम्न वर्ण के लोग अधम कोटि में ढकेल दिए गए। हर वर्ण की अपनी–अपनी सामाजिक एवं धर्मानुष्ठानिक मान्यता थी। शूद्रों का अस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था और उसकी सामाजिक हैसियत लगभग अंत्यजों की सी थी।

जो श्ल्पी ठीक समय पर काम पर हाजिर नहों हो पाता था उनका चौथाई वेतन काट लिया जाता था और उससे दोगुनी जुर्माना राशि वसूल किया जाता था। किसी कारीगर से कोई कार्य बिगड़ जाता तो उसके लिए उसे नुकसान भरना पड़ता था और दुगुना जुर्माना के रूप में वसूल किया जाता था। धुलाई के क्रम मे यदि धोबी द्वारा कपड़ा फट जाता था तो धोबी को नुकसान भरना पड़ता और दण्ड में 6 पण भी अदा करना पड़ता था। कपड़ा बदल जाने पर वह कपड़े के मूल्य का दुगुना दण्ड और कपड़ा वापस करना पड़ता था। दर्जी और सुनार के लिए कठोर दण्ड का विधान था। नट–नर्त्तक जहाँ जनसामान्य का मनोरंजन करता था वही पर उस पर दण्ड का भी विधान था। दुसरों के मर्म की पीड़ा पहुँचाने पर उन्हें दण्ड दिया जाता था और दण्ड की अदायगी न करने पर उसे कोड़े से पीटा जाता था।

शिक्षा स्तर में भी समाज में भिन्नता थी। शिक्षा जाति के आधार पर निश्चित की गई थी। ब्राह्मणों के लिए सात वर्ष की आयु मे यज्ञोपवीत संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण करने का पुरा अधिकार था। वे वेद, उपवेद, इतिहास, धनु, गंधर्व, अयुः, काम, चिकित्सा और गेय संगीत सभी कुछ पढ़ सकते थे। किन्तु शूद्र वेद का श्रवण भी नहीं कर सकते थे। ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अध्ययन की समुचित व्यवस्था थी, व्यापक पाठ्यक्रम नियत किया गया था, लेकिन शूद्रों के लिए शिक्षा की ऐसी व्यवस्था नहीं थी।

गुप्तोत्तर युग में समाज का आधार वर्ण था, ब्राह्मण का स्वधर्म यज्ञ करना एव कराना, क्षत्रिय का स्वधर्म राज्य का संचालन तथा युद्ध करना था, वैश्य खेतीबारी और व्यापार का कार्य देखता था। जबकी शूद्र उन तीनों जातियों की सेवा करता था। समाज के प्रत्येक वर्ण को निर्धारित धर्म का पालन करना आवश्यक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे उँची तथा सम्मानित थी जबकी शूद्र और अश्यपृश्यों की स्थिति काफी बदतर थी।

सृष्टि के आरंभ से ही दो वर्गो की सत्ता विद्यमान रही है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपना दास बनाने की चेष्टा करता रहा है। दूसरा वर्ग निर्बल और असहाय रहा है। उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाओं स वंचित रखा गया। ब्राह्मण प्रधान राजतंत्र का एक ढ़ांचा ठोक–पीटकर खड़ा कर दिया गया। जिसका आदर्श मनु को माना जाता है। सामान्य जन का सामाजिक जीवन उन रोचक कहानियों मे मिलता है जिसमें जनता के विश्वास, रीति– रिवाज और आजीविका स्पष्ट रूप से चित्रित है। निम्न वर्गों के मन में जो ब्राह्मणों की श्रष्ठता की भावना जमा दी गई और विश्वास पैदा कर दिया गया कि ब्राह्मण केवल सांसारिक गुरू ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक गुरू भी है, इससे वे धरती पर देवता के प्रतिनिधि, भूदेव–भूसूर माने जाने लगे। ऐसी स्थिति में राजसत्ता किसी वर्ग को ऊपर उठाने या नीचे गिराने में समर्थ था बुद्ध काल में जो आर्थिक विकास हुआ उससे भौतिक उत्थान का एक युग अवतीर्ण हुआ किन्तु उससे होने वाली समृद्धि धनवानों के हाथों में ही जमा दी गई जहाँ धनियों के पास अस्ती कोटि थी, वहाँ एक मजदूर को दिन भर में एक माषक भी नहीं मिल पाता था। गुप्तोत्तर काल में निम्न जातियों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन जटिल जातीयता के बंधन के कारण उसकी दशा में सुधार नहीं हो पायी।

गुप्तोत्तर कालीन समाज की परम्परा एवं सामाजिक मर्यादा के अनुसार इन चारों वर्णों का अपना स्वधर्म निर्धारित था जिसमें शूद्रों की स्थिति अस्पृश्य ही थी। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग जनता के अंग थे पर समाज में उनकी स्थिति एक समान ही थी। न्यायालयों द्वारा अपराधियों को दण्ड देते हुए या वाद के संबंध में या साक्षी लेते हुए वर्ण को दृष्टि में रखा जाता था। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि

RRIJM 2015, All Rights Reserved

बराह मिहिर ने ब्राह्मणों को सामाजिक वरिष्टता देते हुए भी शूद्रों को ब्राह्मणों के समान कुछ व्यवहारिक अधिकार प्रदान किये गये जो पहले सोचे तक नहीं गए थे। बराह मिहिर ने शूद्रों को आर्य हो माना और मनु ने भी एक पुरूष से उत्पन्न बताया। रज्जुक, तन्तुवादि और यवन सब आर्यावर्त्त के अभिन्न अंग समझे गये थे। यद्यपि शूद्र द्विज नहीं थे, फिर भी आर्य ही थे। सामाजिक धर्म व्यवस्था में शूद्र की स्थिति में कलंक लगाने वाले यद्यपि कुछ अनुच्छेद अर्थशास्त्र में मिलते हैं फिर भी निम्नतर वर्गों के प्रति बराह मिहिर के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लगता है कि शूद्रों के विरूद्ध ऐसे कठोर वचन धर्म–निरपेक्ष राज्य के लिए दीक्षित इस महान कृति में क्षेपण ही है।

शूद्र जन्म से आर्य हो सकता था जबकि म्लेच्छ लोग अपनी संतान को बेच और गिरवी रख सकते थे, इसमें कोई दोष नहीं था, परन्तु आर्य जाति किसी हालात में गुलाम नहीं बनायी जा सकती थी। समाज दण्ड का विधान भी जाति के आधार पर किया गया था। शूद्र यदि किसी ब्राह्मण पर प्रहार करता है तो वह ब्राह्मण के जिस अंग पर प्रहार किया हो शूद्र के उस अंग को काट देने का दण्ड निर्धारित किया गया था। जबकि ब्राह्मणों के लिए ऐसे कठोर दण्ड का प्रावधान नहीं था। शूद्रों का विशाल वर्ग जिसके कंधों पर राज्य की सम्पूर्ण व्यवस्थाएं और विभिन्न सामाजिक कार्य निर्भर था, वह केवल समाज की पंगत से अलग ही नहीं था बल्कि उसके द्वारा भूलचुक होने पर उसे अपनी आमदनी से दुना दण्ड भी चुकाना पड़ता था। ब्राह्मण बालक के लिए ऋग, यजु, साम और अर्थवेद का क्रम से अध्ययन करन की व्यवस्था थी इसके अतिरिक्त चार उपवेद, इतिहास, धनु, गांधर्व, आयुः काम चिकित्सा और गेय संगीत छः वेदान्त जिसका सम्बन्ध वेद मंत्रों के सुक्तों तथा सस्वर उच्चारण से है, कल्प जो वेद की विभिन्न शाखाओं के मंत्रों को बताता है। व्याकरण, निरूक्त अर्थात व्युत्पत्ति, शास्त्र , छंद अर्थात काव्य–शास्त्र अलंकार इन विषयों में पारंगत होना पड़ता था। इसके लिए ब्राह्मण बालक को दीक्षा सात वर्ग की आयु मे यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दी जाती थी। स्मृतिकार गौतम के अनुसार सामान्य तथा क्षत्रिय की शिक्षा उसकी आयु के ग्यारहवें वर्ष तथा वैश्य की बारहवें वर्ष से शुरू होती थी। मिलिन्दपन्ह के अनुसार क्षत्रिय राजकुमारों को अठारह बड़े और छोट विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इन विषयों में दर्शन–योग और न्याय और वैशेषिक, अंक गणित, सांख्य, संगीत, पुराण, इतिहास, गणित, ज्योतिष, जादू माया, मंत्रतंत्र, युद्धकला, कविता छंद, हस्तांतरण पत्र लेखन, दस्तावेज नवीसी और धार्मिक तथा परंपरागत कानून सम्मिलित थे। वैश्य बालक की शिक्षा अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक होती थी। उसे लिखाई, लिपि, अंकगणित, सांख्य, लेखाशास्त्र, गणित, विभिन्न प्रकार की मुदाओं को संभालने, जमा कराई गई राशियां, निक्षेपों और न्यासों, ट्रस्ट से संबंधित कानूनों और नियमों की और माल की आठ प्रकार की परीक्षा ''अष्ट परीक्षा'' की शिक्षा दी जाती थी।

असामानतावादी इस दृष्टिकोण के कारण उच्च जाति और निम्न जाति एक–दूसरे को द्वेष भाव से देखने लगे थे। शूद्र अपने जीवन की स्थितियों से पूरी तरह असंतुष्ट थे और अपराध कर्मो मे लिप्त थ। बराहमिहिर ने विभिन्न श्रेणियों के अपराधियों और संदेहास्पद व्यक्तियों की जो सूची बनायी, वे सभी शूद्र थे। उसने आदेश जारी किया कि यदि कोई शूद्र अपने को ब्राह्मण कहे, देवताओं की सम्पत्ति चुराये या राजा के प्रति वैर–भाव रखे तो जहरीला विलेप लगाकर उसकी आँखें फोड़ डाली जाये या उससे जुर्माने के रूप में 600 पण वसूल किये जाये। इससे ज्ञात होता है कि कुछ शूद्र पुरोहितों एवं सत्ताधारी वर्गों के दुश्मन थे। गुप्तोत्तर युग में समाज का आधार वर्ण था, ब्राह्मण का स्वधर्म यज्ञ करना एवं क्षत्रिय का स्वधर्म राज्य का संचालन तथा युद्ध करना था, वैश्य खेती–बारी और व्यापार का कार्य देखता था जबकि शूद्र उन तीनों जातियों की सेवा करता था। समाज के प्रत्येक वर्ण के लिए निर्धारित स्वधर्मों का पालन करना आवश्यक था। समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे उँची और सम्मानित थी, वही शूद्र अस्पृश्य की स्थिति निम्न एवं असम्मानित थी।

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि अश्यपृश्य शूद्रों की स्थिति काफी बदतर थी। ऐसा लगता है उसे मनुष्य की भी श्रेणी में नहीं रखा गया था। उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। या यों कहें पशु से भी बदतर तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि उस समय समाज कुत्ते–बिल्ली को उतना अछूत या अदर्श नहीं मानते थे जितना कि चांडालों व अन्य शूद्रों को मानते थे। ऐसे समाज में शूद्रों की स्थिति में सुधार की उम्मीद करना बेइमानी है।

संदर्भ–

1. डॉ सत्यकेतु– गुप्तोत्तर कालीन साम्राज्य का इतिहास– श्री सरस्वती सदन नई दिल्ली–1986, पृष्ठ–387.
2. कृष्णा राव एवं डा0 एम. बी. –बराह मिहिर शास्त्र का सर्वेक्षण, अनुवादक विश्वेश्वरया जी, रतन प्रकाशन मंदिर, दिल्ली–1961, पृष्ठ–120.

3. ऋगवेद मंडल–10, सुक्त संख्या– 17.
4. चौधरी राधाकुष्ण, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली–1986, पृष्ठ–282.
5. दीर्घ निकाय–1, पृष्ठ–111,
6. बराह मिहिर शास्त्र का सर्वेक्षण –अनुवादक– विश्वेश्वरैया, डॉ0 एव. वी. कृष्णाराव, पृष्ठ–121.
7. हिस्ट्र ऑफ द धर्मशास्त्र –1, केन0 पी0 भी0
8. प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास– राधाकृष्ण चौधरी, पृष्ठ–282.
9. प्राचीन भारत एक रूपरेखा– उपेन्द्र ठाकुर, पृष्ठ–88.
10-भारतीय व्यापार का इतिहास– के0 डी0 बाजपेयी, पृष्ठ–221.

RRIJM 2015, All Rights Reserved